न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
प्रकरण कुशाल बेरी बनाम छीतरलाल
किस्म मुकदमा नम्बर 44/2024
हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर अफसर

पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित राजीनामे का अवलोकन किया।

- राजीनामे के अनुसार राजस्व ग्राम शेरपुर की खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नंबर कुल किता 9 कुल रकबा 1.56 हे0 में 1/2 भाग तथा खाता संख्या 51 में खातेदार छीतर पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4 में आधा हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा का खातेदार होने बनने हेतु वादी द्वारा यह राजीनामा पेश किया। मूल खातेदार छीतरलाल पुत्र कल्याण जाति माली द्वारा सहमति व्यक्त की है पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम शेरपुर की खाता संख्या 50 व 51 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी संख्या 1 की माता व वादी की दादी द्वारा उक्त भूमि जो उस के नाम थी उसको वादी के नाम वसीयत कर खातेदारी देने हेतु वसीयत लिखी गयी थी। उक्त आराजी संपूर्ण ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगा दी। राजीनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति व्यक्त की है।
- अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा प्रार्थना पत्र आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि कल्याणी बेवा कल्याण द्वारा वादी कुशाल पुत्र छीतर के पक्ष में दिनांक 25.04.2019 को जो वसीयत की की है। उक्त वसीयत की सत्यता की जांच की जावे। वसीयत सही पाई जाने पर वसीयत में अंकित हिस्से के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी का अंकन किए जाने की कार्यवाही करे। वादी की खातेदारी भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करे। तदानुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sing
Date: 2025.09.11 17:00:45 IST
Reason: SelfAttested